राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 1598/2013/टोंक
2.अपील संख्या 1599/2013/टोंक
3.अपील संख्या 1600/2013/टोंक

मैसर्स रतन लाल महेश चन्द
टोंक अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय
वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम,टोंक प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.एस.राठौड
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 10.01.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी ने उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा. जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत क्रमशः पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 एवं 23.05.2013 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत टोंक (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के कर निर्धारण आदेश को एकपक्षीय पारित किये गये थे, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर 60 दिवस में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश आदेश दिनांक 26.08.2010 के द्वारा दिये गये साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 15.09.2010 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के भी निर्देश दिये गये। परन्तु निर्देर्शित दिनांक को अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक को पुनः एकपक्षीय पारित कर दिया। अपीलार्थी व्यवहारी

द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः एकपक्षीय पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.07.2011 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात दिनांक 17.05.2013 को आदेश पारित कर निष्कर्ष दिया कि "यह प्रकरण पूर्व मे भी राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रतिप्रेषित किया गया था किन्तु व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण आदेश दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अतः व्यवहारी पुनः राजस्थान वेट आधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत कानूनी सहायता का पात्र नही रहता है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध नही है । इस कारण से प्रकरण में कोई कार्यवही अपेक्षित नहीं है,प्रकरण दाखिल दफ्तर किया जाता है"। आलोच्य अवधि 2008–09 व 2009–10 के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2013 में अंकित किया है कि व्यवसायी को दिनांक 29.03.2011 एवं 18.012012 को मांत्र पत्र प्राप्त हो गये थे एवं तामील रिपोर्ट पर प्रार्थी के पुत्र के हस्ताक्षर है जबअक व्यवसायी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2012 को प्रंस्तुत किये हैं । अतः प्रकरण अवधि बाधित है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर किये जाते हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए उसे एक अवसर सुनवाई का प्रदान करने का निवेदन किया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि सुनवाई का अवसर दिये जाने पर वह स्वयं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जायेगा। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीार्थी व्यवहारी को आलोच्य वर्ष 2007–08 के सम्बन्ध में एक अवसर प्रदान किया जा चुका है परन्तु वह दी गई नियत तिथि को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए अब और अवसर दिया जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने आलोच्य वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के सम्बन्ध में कथन किया कि प्रार्थना अवधि बाहर प्रस्तुत किये गये हैं । उन्होंने उकत कथन के आधार पर अपील अस्वीकार कर निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2013 पर मनन किया

गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि 2007—08 का कर निर्धारण आदेश 31.03.2010 को एकपक्षीय पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ,जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर 60 दिवस में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश आदेश दिनांक 26.08.2010 के द्वारा दिये गये साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को दिनांक 15.09.2010 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के भी निर्देश दिये गये। परन्तु निर्देर्शित दिनांक को अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.07.2011 को पुनः एकपक्षीय पारित कर दिया।

प्रकरणों के उपरोक्त तथ्यों एवं न्याय हित में विचार करने के पश्चात यह पीठ अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करना उचित समझती है। अतः तीनों अपीलीं स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अथवा दिनांक 30.01.2014 जो भी पहले, को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि सम्बन्धित दस्तावेज लेकर कर निर्धारण हेतु उपस्थित हों। कर निर्धारण अधिकारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनने के पश्चात आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। यह यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है कि तो अपीलीय अधिकारी के [illegible] आदेश यथावत रहेंगे।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2013 एवं 23.05.2013 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य